

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 540 / भू-अर्जन / 2019

अम्बिकापुर, दिनांक 18/01/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे० में)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	उदयपुर	करोँदी	1.199	रिखी जलाशय योजना
		नमना	0.880	
		योग:-	2.079	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 07/02/2019 को (समय) पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन करोँदी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कड़िका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण।	सिंचाई क्षमता में वृद्धि
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	50
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हां
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हां
आठ- परियोजना की कुल लागत।	32.42 लाख रुपये (अनुमानित)
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ।	सिंचाई क्षमता का विस्तार, एवं किसानों की आय में वृद्धि।
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	परियोजना का लोगों के सामाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक।	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मित्र)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

(2)

पृ० क्रमांक ३९१ / भू-अर्जन / 2019,
प्रतिलिपि-

अम्बिकापुर, दिनांक १४/११/2019

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- 2- आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, उदयपुर, सह अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा उद्घोषणा भी कराये। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कराये तथा ग्राम करौंदी, एवं ग्राम नमना अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल, रिखी जलाशय योजना ग्राम, करौंदी एवं ग्राम नमना, तहसील-उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उदयपुर, जिला सरगुजा।
- 8- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र० 01, अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कलेक्टर
सरगुजा, अम्बिकापुर



प्रारूप-एक
(नियम 11देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक 594 /भू-अर्जन/2019,

अम्बिकापुर, दिनांक 18/01/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत


नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशायित है, अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे0)	लोक प्रयोजन का विवरण
सरगुजा	उदयपुर	घाटबर्बा	348.126	परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल परियोजना
	योग		348.126	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक 21/02/2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन घाटबर्बा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

कड़िका	विवरण
एक-लोक प्रयोजन, का संक्षिप्त विवरण	परसा ईस्ट एवं केते बासेन खुली खदान परियोजना से कोयले की आपूर्ति राजस्थान स्थित छावड़ा ताप विद्युत केन्द्र, कालीसिध ताप विद्युत केन्द्र एवं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत केन्द्रों को की जानी है।
दो-प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	409
तीन-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
चार-प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	387 निजी मकान
पांच-प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	माध्यमिक शाला-02, आंगन बाडी-03, प्राथमिक शाला-02, पंचायत भवन-01, उप स्वास्थ्य केन्द्र-01, वन विभाग नारा क्वार्टर-01, पी0डी0एस0सोसाइटी-01, छात्रावास भवन-01
छ:-क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	हां
सात-क्या संभव विकल्पो और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	हां
आठ-परियोजना की कुल लागत।	2052.00(दो हजार बावन करोड़)(अनुमानित)।
नौ-परियोजना से होने वाला लाभ।	किसानों की आय में वृद्धि एवं रोजगार का सृजन
दस-प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय।	किसानों को मुआवजे के साथ बसाहट की सुविधा दी जायेगी। रोजगार का सृजन होगा जिससे पात्र व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति पर लगभग सात करोड रुपये व्यय किये जाएंगे।
ग्यारह-परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक।	निरंक

उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर की जा सकेगी।



(डॉ. सारांश मित्तर)

कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

OLC

पृ० क्रमांक ३९९ / भू-अर्जन / 2019,
प्रतिलिपि:-

अम्बिकापुर, दिनांक १४ / 01 / 2019

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, रायपुर।
2. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा, अम्बिकापुर।
4. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व उदयपुर, सह अध्यक्ष सामाजिक समाघात निर्धारण दल को अधिसूचना की दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न अधिसूचना संबंधित ग्रामपंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराये। साथ ही इसका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में कराये तथा ग्राम घाटबर्बा अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभा की सहमति भी प्राप्त की जाए।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सरगुजा अम्बिकापुर को अधिसूचना की प्रति जिले एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
6. सर्व सदस्य, सामाजिक समाघात निर्धारण दल परसा ईस्ट एवं केते बासेन खुली खदान परियोजना ग्राम-घाटबर्बा, तहसील-उदयपुर, जिला- सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सी.आर. हाईट्स, खरसिया नाका, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उदयपुर, जिला सरगुजा।



कलेक्टर

सरगुजा, अम्बिकापुर

मे. न.